

राजस्थान सरकार
निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग
दूरभाष:-2415091-95, फेक्स:-0294 - 2410526

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC/RCC 08)/2026/ई-15764

ई-नीलामी विज्ञापित

सर्वसाधारण को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 के अध्याय VII के तहत विभाग के निम्न अधिशुल्क/अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी एवं अन्य शुल्क संग्रहण के ठेके अवधि दिनांक 01-04-2026 अथवा संविदा निष्पादन की तिथि जो भी बाद में हो से दिनांक 31-03-2028 तक के लिये ई-नीलामी के माध्यम से दिये जाने हेतु तालिका में अंकित कार्यक्रम के अनुसार बोली मेसर्स एम.एस.टी.सी. लि. के इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर आमंत्रित की जाती है :-

क्र.स.	ठेका क्षेत्र का कोड क्रमांक	कार्यालय का नाम जिस क्षेत्र का ठेका दिया जाना है	ठेका क्षेत्र का विवरण	ठेके का प्रकार	खनिज का नाम	ठेके के तहत वसूल की जाने वाली राशि का विवरण	ठेके की आरक्षित राशि (रुपयों में)	ऑनलाईन बोली की दिनांक	ऑनलाईन बोली का समय
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	35	खनि अभियन्ता, बिजौलिया	जिला भीलवाडा की तहसील बिजौलिया एवं माण्डलगढ व जिला चित्तौडगढ की तहसील बैंगू की राजस्व सीमा में स्वीकृत करारी लाईसेन्सों से निर्गमित खनिज सेण्डस्टोन (पट्टी, फर्शी, ब्लोक, कोबल्स, खण्डा)	आरसीसी	सेण्डस्टोन	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	475915520	04-06-2026	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
2	251	खनि अभियन्ता, जैसलमेर	जिला जैसलमेर की राजस्व सीमा में खनिज जिप्सम के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिक अधिशुल्क एवं खातेदारी भूमि में खनिज जिप्सम के परमिट क्षेत्रों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिशुल्क, परमिट शुल्क संग्रहण ठेका	आरसीसी / ईआरसीसी	जिप्सम	अधिशुल्क, परमिट शुल्क, अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	108662932	04-06-2026	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
3	200, 246, 252	सहायक खनि अभियन्ता, चूरू	जिला चूरू के क्षेत्र गोपालपुरा, बालेरा, लोडसर एवं चाडवास तथा रणधीसर की राजस्व सीमा में व जिला कुचामन डीडवाना (पूर्व जिला नागौर) की तहसील लाडनूं की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	511362604	04-06-2026	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
4	170	खनि अभियन्ता, नागौर	जिला नागौर की तहसील जायल व मुण्डवा की राजस्व सीमा में खनिज चाइनाक्ले, केओलिन व सिलिकासेण्ड के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चाइनाक्ले, केओलिन व सिलिकासेण्ड	ईआरसीसी	चाइनाक्ले, केओलिन व सिलिकासेण्ड	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	329083278	04-06-2026	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.



5	168	खनि अभियन्ता, बीकानेर	जिला बीकानेर की सम्पूर्ण राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज जिप्सम पर अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी. वसूली व खातेदारी भूमि में जारी जिप्सम के परमिटों से निर्गमित होने वाले खनिज जिप्सम पर अधिशुल्क, प्रीमियम राशि, परमिट शुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी. वसूली ठेका	ईआरसीसी/ आरसीसी	जिप्सम	अधिक अधिशुल्क, अधिशुल्क, प्रीमियम राशि, परमिट शुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	779672305	04-06-2026	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
6	100 (247)	खनि अभियन्ता, उदयपुर	संपूर्ण जिला उदयपुर (तहसील ऋषभदेव, खेरवाड़ा व नयागांव को छोड़कर) एवं जिला सलुम्बर की तहसील सराड़ा व सेमारी की राजस्व सीमा में खनिज मारबल, सरपेन्टाईट, ग्रेनाईट, फिलाईटशिष्ट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मारबल, सरपेन्टाईट, ग्रेनाईट, फिलाईटशिष्ट	ईआरसीसी	मारबल, सरपेन्टाईट, ग्रेनाईट, फिलाईटशिष्ट (शिड्यूल-II के अनुसार समस्त गुणवत्ता/ आकार/ माप)	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	85797747	05-06-2026	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
7	244	सहायक खनि अभियन्ता, दौसा	जिला दौसा की तहसील सिकराय (राजस्व ग्राम राजपुरा गिलारी को छोड़कर) की राजस्व सीमा में खनिज चेजा पत्थर के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	57793011	05-06-2026	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
8	63	खनि अभियन्ता, अलवर	जिला अलवर की तहसील थानागाजी (नवसृजित तहसील प्रतापगढ) की राजस्व सीमा में खनिज मारबल के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मारबल	ईआरसीसी	मारबल	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	373133260	05-06-2026	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.
9	102	सहायक खनि अभियन्ता, ऋषभदेव	जिला उदयपुर की तहसील खेरवाड़ा व ऋषभदेव की राजस्व सीमा में खनिज सरपेन्टाईन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सरपेन्टाईन	ईआरसीसी	सरपेन्टाईन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	127548951	05-06-2026	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
10	261	खनि अभियन्ता, नागौर	जिला नागौर की तहसील नागौर व जायल की राजस्व सीमा में खनिज जिप्सम के स्वीकृत खनन पट्टों से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी संग्रहण एवं उक्त क्षेत्र में खनिज जिप्सम के स्वीकृत एसटीपी से निर्गमित खनिज जिप्सम पर अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी., आर.एस.एम.ई.टी, प्रीमियम शुल्क एवं परमिट शुल्क संग्रहण ठेका	आरसीसी/ ईआरसीसी	जिप्सम	अधिशुल्क, अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	34251815	05-06-2026	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
11	166 (212)	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	जिला नागौर की तहसील मेडता व रियांबड़ी की राजस्व सीमा में खनिज चायनाक्ले, केओलिन, सिलिका सेण्ड एवं पिली मिट्टी के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज चायनाक्ले, केओलिन, सिलिका सेण्ड एवं पिली मिट्टी	ईआरसीसी	खनिज चायनाक्ले, केओलिन, सिलिका सेण्ड एवं पिली मिट्टी	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	74725618	08-06-2026	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर

12	162	खनि अभियन्ता, बून्दी-II	जिला बुन्दी की तहसील हिण्डोली एवं नैनवां (कार्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले खनन ग्राम की राजस्व सीमा) में खनिज रेड एवं येलो ऑकर व चाईना क्ले के स्वीकृत पट्टों से निर्गमित खनिज रेड एवं येलो ऑकर व चाईना क्ले	ईआरसीसी	रेड ऑकर, येलो ऑकर व चाईना क्ले	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	3737390	08-06-2026	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
13	107	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाड़ा व पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टा क्षेत्र से निर्गमित खनिज ग्रेनाईट	ईआरसीसी	ग्रेनाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	1946594	08-06-2026	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.
14	99	खनि अभियन्ता, बांसवाड़ा	जिला बांसवाड़ा की तहसील बांसवाड़ा आबापुरा एवं छोटी सरवन की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित होने वाले खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	80180859	08-06-2026	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
15	81	खनि अभियन्ता, जोधपुर	जिला जोधपुर की तहसील बिलाड़ा व पीपाड़ शहर के ग्राम सोवनिया, रणसीगांव, खेजड़ला की राजस्व सीमा में प्रभावशील क्वार्टी लाईसेंस क्षेत्र से निर्गमित खनिज सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	आरसीसी	सेण्ड स्टोन व मेसेनरी स्टोन	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	729304	08-06-2026	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
16	258	सहायक खनि अभियन्ता, सलूमबर	जिला डूंगरपुर की तहसील आसपुर एवं साबला की राजस्व सीमा में खनिज मार्बल के प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मार्बल	ईआरसीसी	मार्बल	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	2138472	09-06-2026	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
17	182	सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेड़ा	जिला चित्तौड़गढ़ की तहसील निम्बाहेड़ा, भूदेसर, बड़ीसादड़ी, व डूंगला की राजस्व सीमा में अप्रधान खनिज रेडऑकर, येलोऑकर, चायनाक्ले, सिलिकासेण्ड, सोपस्टोन एवं क्वार्टजाईट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज रेडऑकर, येलोऑकर, चायनाक्ले, सिलिकासेण्ड, सोपस्टोन एवं क्वार्टजाईट	ईआरसीसी	रेडऑकर, येलोऑकर, चायनाक्ले, सिलिकासेण्ड, सोपस्टोन एवं क्वार्टजाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	123878815	09-06-2026	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
18	201(215)	खनि अभियन्ता, ब्यावर	जिला ब्यावर की तहसील ब्यावर, मसूदा, विजयनगर व टाडगढ़ की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन, शिष्ट व फिलार्डशिष्ट के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन, शिष्ट व फिलार्डशिष्ट	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन, शिष्ट व फिलार्डशिष्ट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	14100000	09-06-2026	12.00 पी.एम. से 02.00 पी.एम.

19	17	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	जिला नागौर की तहसील मेडतासिटी की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	14181050	09-06-2026	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
20	13	सहायक खनि अभियन्ता, जेतारण	जिला ब्यावर की तहसील रायपुर के राजस्व ग्राम बर, फतहखेडा, लवाया, बिराटीयाखुर्द/ कलां की सीमा में खनिज फिलाईशिष्ट, बैलास्ट व खण्डा के प्रभावशील कारी लाईसेंसों से निर्गमित खनिज फिलाईशिष्ट, बैलास्ट व खण्डा	आरसीसी	फिलाईशिष्ट, बैलास्ट व खण्डा	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	13605098	09-06-2026	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.
21	3	सहायक खनि अभियन्ता, डीडवाना	जिला डीडवाना-कुचामन की तहसील डिडवाना के राजस्व ग्राम पावा कोनियाडा-कोडिया की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	19068932	10-06-2026	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
22	189	खनि अभियन्ता, डूंगरपुर	जिला डूंगरपुर की तहसील आसपुर व साबला को छोडकर शेष सम्पूर्ण जिला डूंगरपुर की राजस्व सीमा मे प्रभावशील खननपट्टो से निर्गमित होने वाले खनिज सोपस्टोन	ईआरसीसी	सोप स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	17996230	10-06-2026	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
23	101	खनि अभियन्ता, प्रतापगढ	जिला प्रतापगढ की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टो से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	48092237	10-06-2026	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
24	84	खनि अभियन्ता, बाडमेर	जिला बाडमेर की तहसील बाडमेर ग्रामीण के गांव भाडखा, कपूरडी व रोहिली की राजस्व सीमा में खनिज मुलतानी मिट्टी के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मुलतानी मिट्टी	ईआरसीसी	मुलतानी मिट्टी	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	3095820	10-06-2026	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.
25	18	सहायक खनि अभियन्ता, गोटन	जिला नागौर की तहसील डेगाना एवं रियांबडी की राजस्व सीमा में खनिज मेसेनरी स्टोन के प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरी स्टोन	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	54265481	10-06-2026	04.00 पी.एम. से 06.00 पी.एम.

26	171	सहायक खनि अभियन्ता, दौसा	सम्पूर्ण जिला दौसा की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज सोपस्टोन व सिलकासेण्ड	ईआरसीसी	सोपस्टोन व सिलकासेण्ड	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	49476975	11-06-2026	10.00 ए.एम. से 12.00 दोपहर
27	58	सहायक खनि अभियन्ता, दौसा	जिला दौसा की तहसील दौसा, सैथल एवं कुण्डल की राजस्व सीमा में प्रभावशील खनन पट्टों से निर्गमित खनिज चेजा पत्थर	ईआरसीसी	चेजा पत्थर	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	10105229	11-06-2026	11.00 ए.एम. से 01.00 पी.एम.
28	237	सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेडा	कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, निम्बाहेडा कार्यालय क्षेत्राधिकार के तहसील निम्बाहेडा एवं भदेसर से स्वीकृत कारी लाईसेन्स से निर्गमित खनिज लाईमस्टोन(पट्टी, फर्शी, खण्डा पत्थर एवं गिट्टी)	आरसीसी	लाईमस्टोन (पट्टी, फर्शी, खण्डा पत्थर एवं गिट्टी)	अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	229479826	11-06-2026	12.00 पी.एम. से 02.00 पी. एम.
29	73	खनि अभियन्ता, सोजतसिटी	जिला पाली तहसील पाली मारवाड जक्शन, रोहट(ग्राम रोहट, सिणगारी, दूदली एवं उन्दरा को छोड़कर), सोजत एवं जिला ब्यावर की तहसील जैतारण की राजस्व सीमा में प्रभावशील खननपट्टों से निर्गमित खनिज मेसेनरीस्टोन एवं रायोलाईट	ईआरसीसी	मेसेनरी स्टोन, रायोलाईट	अधिक अधिशुल्क, डी.एम.एफ.टी. एवं आर.एस.एम.ई.टी	72507114	11-06-2026	02.00 पी.एम. से 04.00 पी.एम.

(अ) महत्वपूर्ण शर्तें-

- 1 ई-नीलामी हेतु बोली वार्षिक ठेका राशि की ली जायेगी। विज्ञापित के कॉलम संख्या 8 में वर्णित "ठेके की आरक्षित राशि" के उपर बोली प्रारंभ की जायेगी। सफल बोलीदाता की वार्षिक बोली 25 लाख रुपये तक होने पर प्रथम किश्त के रूप में बोली राशि का 25 प्रतिशत संविदा निष्पादन से पूर्व एवं शेष राशि संविदा के अनुसार अग्रिम रूप से तीन त्रैमासिक किश्तों में जमा करानी होगी। यदि वार्षिक बोली राशि 25 लाख रुपये से अधिक है तो राशि संविदा अनुसार 12 समान किश्तों में अग्रिम रूप से जमा करानी होगी, जिसमें से प्रथम किश्त संविदा निष्पादन से पूर्व जमा करानी होगी।
- 2 विज्ञापित के कॉलम संख्या 9 में ऑन लाईन बोली की निर्धारित दिनांक एवं कॉलम संख्या 10 में ऑन लाईन बोली के निर्धारित समय (विस्तारित अवधि सम्मिलित नहीं) समाप्ति के पूर्व तक बोलीदाता सम्बन्धित ठेके की बिड प्रतिभूति राशि अपने ई-वॉलेट से जमा कर ई-नीलामी में भाग ले सकता है। ई-वॉलेट में जमा कराई गई लम्पसम राशि का ई-वॉलेट में अपडेट / प्रदर्शित होना अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश जमा लम्पसम राशि ऑन लाईन बोली की निर्धारित दिनांक एवं निर्धारित समय तक ई-वॉलेट में अपडेट / प्रदर्शित नहीं होती है तो इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी बोलीदाता स्वयं की होगी।
- 3 ठेकों की वार्षिक राशि ई-नीलामी में प्राप्त होने वाली उच्चतम बोली के आधार पर निर्धारित की जायेगी। परंतु ठेका स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने हेतु सक्षम अधिकारी स्वतंत्र होंगे। यदि रॉयल्टी, परमिट फीस या अन्य चार्ज (जो लागू हो) में वृद्धि अथवा कमी की जाती है तो उक्त परिवर्तन की तिथि से ठेका राशि में आनुपातिक बढ़ोतरी/ कमी की जायेगी।
- 4 ठेका किसी अन्य को हस्तान्तरण / सबलेट तथा अर्धपण (सरेन्डर) नहीं किया जा सकेगा।
- 5 ठेका अवधि में प्रभावी खननपट्टा/ क्वारी लाईसेंस / परमिट के खण्डित/ सरेन्डर होने या नये स्वीकृत होने अथवा प्रभावी खननपट्टा के स्थिर भाटक में संशोधन होने/ न्यायालय / शासन / अन्य कारणों से खनन पट्टा / क्वारी लाईसेंस / परमिट के स्थायी या अस्थायी रूप से बंद कराये जाने या होने से वार्षिक ठेका राशि पर कोई प्रभाव नहीं होगा।
- 6 ठेकों में कोई भी व्यक्ति/ फर्म/ कंपनी आदि बोली में भाग ले सकते हैं।
- 7 ई-नीलामी हेतु गाईडलाईन एवं ठेके की शर्तों का उल्लेख राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 (समय-समय पर हुये संशोधनों अनुसार) में किया हुआ है। ठेकेदार ठेके की सभी नियम / शर्तों एवं राजस्थान अप्रधान खनिज रियायत नियम, 2017 व उसमें होने वाले संशोधनों की पालना करने हेतु बाध्य होगा। साथ ही ठेकेदार को शासन अथवा विभागीय अधिकारी के निर्देशों की पालना करनी होगी।
- 8 यदि भविष्य में उक्त विज्ञापित के सम्बन्ध में कोई परिवर्तन किया जाता है तो इसकी सूचना विभागीय वेबसाईट www.mines.rajasthan.gov.in व इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदाता मेसर्स एम.एस.टी.सी. लि0 की वेबसाईट mstcecommerce.com पर दी जायेगी। इसका प्रकाशन समाचार पत्रों में अलग से नहीं किया जायेगा।

(ब) बोलीदाता के लिए बोली में भाग लेने की प्रक्रिया:-

- 1 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को www.mstcecommerce.com के पोर्टल से पंजीयन कराना होगा। यदि किसी व्यक्ति / फर्म / कम्पनी ने पूर्व में ही मेसर्स एमएसटीसी लि0 के पोर्टल पर पंजीयन करा रखा है तो उन्हें पुनः पंजीयन कराने की आवश्यकता नहीं है। पंजीयन हेतु पोर्टल के होम पेज में उपलब्ध पंजीयन मार्गदर्शिका (मैनुअल) अथवा मेसर्स एमएसटीसी लि0 के फोन नंबर पर आवश्यकतानुसार मदद ली जा सकती है।
- 2 ई-नीलामी की प्रक्रिया के संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिये सेवा प्रदाता की वेबसाईट पर एवं उनके किसी भी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। जयपुर कार्यालय का पता सीएफ/02, प्रथम तल, नेहरू प्लेस कॉम्प्लेक्स, टॉक रोड, जयपुर है व फोन न. 0141-2742208 व ई-मेल आई डी mstcjaipur@mstcindia.co.in है।
- 3 पंजीयन प्रक्रिया के यत्न पंजीयनकर्ता के पास वैध ई-मेल आईडी और डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट (डीएससी) होना आवश्यक है उक्त सर्टिफिकेट साइनिंग टाइप एवं न्यूनतम क्लास-II का होना चाहिए। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट प्राप्त करने की प्रक्रिया वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर दी गई है। डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के पासवर्ड की गोपनीयता बोलीदाता को ही रखनी होगी।
- 4 ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के इच्छुक व्यक्तियों को मेसर्स एमएसटीसी लि0 के प्लेटफॉर्म पर स्वयं ही पंजीयन कराना होगा, जो कि ओटीपी बेस्ड है। पंजीयन हेतु रजिस्ट्रेशन फीस राशि रुपये 10000/- व जी.एस.टी. मेसर्स एमएसटीसी लि0 में जमा करानी होगी। पंजीयन प्रक्रिया पूर्ण होने पर बोलीदाता का लॉगईन बन जाता है। इसके लिए बोलीदाता को किसी प्रकार के दस्तावेज मेसर्स एमएसटीसी लि0 में भेजने की आवश्यकता नहीं है।

(स) ई-नीलामी की प्रक्रिया :-

- 1 ई-नीलामी में भाग लेने हेतु बोलीदाता द्वारा सर्वप्रथम अपने डिजिटल सिग्नेचर बनवाकर मेसर्स एमएसटीसी लि0 में पंजीयन कराने के उपरान्त नीलामी विज्ञापित में अंकित निर्धारित समय व तिथि तक अमानत राशि जमा करा देने पर ऑनलाईन बोली में भाग ले सकेगा। बोलीदाता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि वह प्रत्येक ठेके के लिए अलग-अलग अमानत राशि जमा करायें। बोलीदाता द्वारा एक लम्पसम राशि भी जमा करवाई जा सकती है जिसमें से वह जिस-जिस ठेके हेतु बोली लगायेगा, उस ठेके के अनुसार अमानत राशि लम्पसम राशि में से कम होती जायेगी। अमानत राशि ठेके की आरक्षित राशि की 10 प्रतिशत होगी।
- 2 जिस ठेके में बोली प्राप्त होती है। उसमें भाग लेने वाले उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य सभी बोलीदाताओं की अमानत राशि ठेका समाप्ति के पश्चात् अधिकतम 30 मिनट में बोलीदाता के वालेट में लौटा दी जायेगी। जिससे बोलीदाता लौटाई गई अमानत राशि को अन्य ठेके की बोली में भाग लेने हेतु काम में ले सकता है। जिन ठेकों की बोली साय 6:00 बजे के पश्चात् समाप्त होगी उनमें उच्चतम बोलीदाता के अतिरिक्त अन्य बोलीदाताओं की बिड सिक्यूरिटी राशि उनके वालेट में बोली समाप्ति के अगले दिन प्रातः 10:00 बजे तक सेवा प्रदाता कंपनी (MSTC Ltd) द्वारा लौटाई जायेगी, क्योंकि साय 6:00 बजे के पश्चात् किसी भी ठेके की बोली नये सिरे से प्रारंभ नहीं होगी।
- 3 अमानत राशि इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म प्रदाता (एम.एस.टी.सी.) को जरिये आर.टी.जी.एस. / एन.ई.एफ.टी. / आई.एम.पी.एस. जमा करानी होगी।
- 4 बोलीदाता द्वारा अमानत राशि जमा कराने पर यह माना जायेगा कि बोलीदाता द्वारा ई-नीलामी की शर्तें एवं आर.एम.एम.सी.आर., 2017 के प्रावधानों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन कर लिया गया है। बोली प्रस्तुत करने में किसी भी असावधानी, गलती अथवा कमी हेतु बोलीदाता स्वयं जिम्मेदार होगा।
- 5 बोलीदाता द्वारा डिजिटल हस्ताक्षर (डीएससी) जिसके सिरियल नम्बर बोलीदाता द्वारा मेसर्स एमएसटीसी लि0 को दिये गये हैं) से ही बोली प्रस्तुत की जा सकेगी।

- 6 आरक्षित राशि से कम की बोली स्वीकार नहीं की जायेगी। बोलीदाता अपनी बोली नीलामी पूर्ण होने से पूर्व कितनी भी बार बढ़ा सकता है। नीलामी समाप्ति के निर्धारित समय से आठ मिनट के अन्दर यदि कोई बोली प्राप्त होती है तो बोली का समय, बोली प्रस्तुत करने के समय से आठ मिनट स्वतः ही बढ़ जायेगा। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहेगी जब तक अंतिम आठ मिनट में कोई बोली प्राप्त नहीं होती है। बोली 10000 रुपये के गुणांक (multiple) में बढ़ाई जा सकेगी।
- 7 सफल बोलीदाता को बोली समाप्ति के 15 दिवस में नियम 37(7)(ए) के अंतर्गत निम्न दस्तावेज सम्बन्धित खनि अभियन्ता / सहायक खनि अभियन्ता कार्यालय में प्रस्तुत करने आवश्यक होंगे:-
- बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम अथवा उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में वर्तमान में अथवा पूर्व में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्यारी लाईसेंस धृत रहा हो तो संबंधित सभी खनि अभियन्ता/सहायक खनि अभियन्ता कार्यालयों द्वारा जारी ना बकाया प्रमाण पत्र जो कि ई-नीलामी विज्ञप्ति तिथि से 6 माह से अधिक पुराना ना हो प्रस्तुत करना होगा।
 - विभागीय ना बकाया कें संबंध में शपथ-पत्र:- यदि बोलीदाता के नाम अथवा उसके परिवारजनों के नाम व उसके जोईन्ट इन्ट्रेस्ट में पूर्व में या वर्तमान में कोई ठेका/खनन पट्टा/क्यारी लाईसेंस धृत नहीं रहा हो तो, इस संबंध में नोटरी सत्यापित शपथ पत्र रूपया 100/- के स्टाम्प पेपर की स्कैन प्रति देनी है। शपथ पत्र के प्रारूप अ,ब,स,द,ई विभाग एवं सेवा प्रदाता कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध है। जो भी लागू हो उसी अनुसार शपथ-पत्र तैयार किया जाये।
 - यदि बोलीदाता Individual (व्यक्ति) हो तो प्रारूप अ में शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 2. यदि बोलीदाता भागीदारी फर्म हो तो प्रत्येक भागीदार को पृथक पृथक प्रारूप ब में तथा फर्म के पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर को प्रारूप स में फर्म का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है। 3. यदि बोलीदाता कम्पनी हो तो प्रत्येक निदेशक को पृथक पृथक प्रारूप द में तथा कम्पनी के अधिकृत व्यक्ति को प्रारूप ई में कम्पनी का शपथ पत्र प्रस्तुत करना है।
 - नोट-शपथ पत्र के प्रारूप अ, ब तथा द में बिन्दु संख्या 2 एवं शपथ पत्र के प्रारूप स तथा ई में बिन्दु संख्या 3 में जो लागू हो, वहीं शपथ पत्र में अंकित किया जाये।
 - बोलीदाता कम्पनी होने की दशा में कम्पनी का मेमोरेण्डम एण्ड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन एवं सर्टिफिकेट ऑफ इन्कोर्पोरेशन की प्रति।
 - बोलीदाता फर्म होने की दशा में फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र एवं पार्टनरशिप डीड की प्रति।
 - आवेदक फर्म होने पर पॉवर ऑफ एटोर्नी (आरएमएससीआर 2017 के फार्म नम्बर 4 में) की प्रति तथा आवेदक के कम्पनी होने पर अधिकृत व्यक्ति के बोर्ड रिजोल्यूशन की प्रति।
 - PAN card / GSTIN की प्रति।
 - एड्रेस प्रुफ हेतु आधार कार्ड/झाईयिंग लाईसेंस/मतदाता पहचान पत्र इत्यादि की प्रति।
 - ई मेल एड्रेस एवं मोबाईल नंबर साधारण कागज या लेटर पेड पर अंकित करते हुये।
- 8 यदि सफल बोलीदाता द्वारा निर्धारित 15 दिवस की अवधि में उपरोक्त बिन्दु संख्या 7 अनुसार दस्तावेज जमा नहीं कराये जाते हैं, तो सफल बोलीदाता उच्चतम बोली राशि की 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि के साथ आगामी 15 दिवस की अवधि पालना हेतु बढ़ी हुई मानते हुये आवश्यक पूर्ति कर सकेगा। नियमानुसार उपरोक्त समायवधि में दस्तावेज जमा नहीं कराने पर नियम 37(7)(बी) के प्रावधानों अनुसार सफल बोलीदाता द्वारा जमा अमानत राशि जप्त करते हुये आगामी पांच वर्षों के लिए ई-ऑक्शन में भाग लेने से डिबार किया जायेगा।

(महावीर प्रसाद मीणा)
निदेशक

क्रमांक: निदे/अ.ख.अ. नीलामी/नीलामी (ERCC/RCC 08)/2026/ई-15764

प्रतिलिपि :-

1- शाखा प्रबंधक, MSTC LTD Jaipur को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन मेसर्स एम. एस. टी. सी. लि0 की वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

2- नोडल अधिकारी, डीएमजीओएमएस, के का उदयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन विभागीय वेबसाइट पर आज ही किया जाना सुनिश्चित करें।

3 - नोटिस बोर्ड, निदेशालय खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान, उदयपुर।

4- निम्न को उनके कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चस्पा करने हेतु :-

अ- अतिरिक्त निदेशक (खान) उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर।

ब - अधीक्षण खनि अभियन्ता - उदयपुर/जयपुर/जोधपुर/कोटा/बीकानेर/भरतपुर/अजमेर/भीलवाडा/राजसमंद।

स- खनि अभियन्ता, जयपुर/अजमेर/सीकर/मकराना/भरतपुर/करोली/धौलपुर /अलवर/कोटा/रामगंजमण्डी/बून्दी-1/II/जोधपुर/सिरोही/बीकानेर/ नागौर/ सोजत/
/राजसमन्द-1/II/आमेत/भीलवाडा/चित्तौडगढ/प्रतापगढ/बिजौलिया/झुंझुनु/ब्यावर/जालोर/बाडमेर/श्रीगंगानगर/डुंगरपुर/बांसवाडा/जैसलमेर ।

य -सहायक खनि अभियन्ता, टौक/कोटपुतली/झालावाड/बालेसर/गोटन/ सलूम्बर/ऋषभदेव/निम्बाहेडा/सवाईमाधोपुर/बारा/दौसा/रूपवास/ हनुमानगढ/चुरू/ नीमकथाना/सावर/ खेतडी/जैतारण/डीडवाना/गंगापुर।

(महावीर प्रसाद मीणा)
निदेशक